वर्ष 2017–18 में संतरा एवं मौसमी के नये बगीचों के स्थापना हेतु संतरा एवं मौसमी पौध क्रय करने एवं कृषक को अनुदान देने हेतु दिशानिर्देश

1. उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं में नवीन बगीचा स्थापना अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु कृषक संतरा एवं मौसमी के बगीचें स्थापना के लिए जिलें के सहायक निदेशक/उप निदेशक उद्यान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगें।
2. पात्र कृषकों के आवेदन के आधार पर सहायक/उप निदेशक उद्यान संतरा एवं मौसमी के बगीचें स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। साथ ही कृषक को वर्ष 2017–18 हेतु संतरा/मौसमी पौधें स्वयं के स्तर से क्रय करने हेतु मापदण्ड के साथ अनुमत करेंगे।
3. पात्र कृषक स्वयं के स्तर पर राज्य या राज्य के बाहर की N.H.B Aecredited नर्सरियों से संतरा एवं मौसमी पौध क्रय कर सकेगा।
4. संतरा एवं मौसमी पौध के क्रय के पश्चात् नर्सरी द्वारा जारी बिल व मय नर्सरी के N.H.B Aecredation प्रमाण पत्र सहायक/उप निदेशक उद्यान को अनुदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।
5. सहायक/उप निदेशक उद्यान द्वारा उद्यान निदेशालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंषित दरों संतरा पौधों की दर अधिकतम रूपयें 15/– प्रति पौधा एवं मौसमी पौधों की दर अधिकतम रूपयें 20/– प्रति पौधा के आधार पर कृषक को प्रस्तुत बिलों के अनुसार योजना के प्रावधान अनुरूप अनुमत स्तर तकअनुदान देय होगा।
6. जिला स्तरीय अधिकारी पौधों पर अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि कृषक द्वारा विभागीय मापदण्डानुसार पौधें क्रय कर बगीचों की स्थापना कर ली गई है व इसका जिला स्तरीय कमेटी (कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक) के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। भुगतान का आधार जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वयं संतुष्ट होने व स्वस्थ बगीचें के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को ही माना जाएगा।
7. योजनानुसार देय अनुदान (50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत जो भी हो) उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सीधें कृषक को उसके बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाए।
8. यह निर्देश संतरा/मौसमी हेतु वर्ष 2017–18 हेतु ही मान्य होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'राजहंस'
एवं निदेशक उद्यान
राजस्थान जयपुर

प क्रमांक प 11(53)/राजहंस/पौध आपूर्ति/दर संविदा/2017–18/1349-1402
दिनांक – 21/1/17

1. संयुक्त निदेशक उद्यान (सीएसएस/राज्य योजना/आर.ए.सी.पी.) राजस्थान जयपुर।
2. नोडल ऑफिसर आर.ए.सी.पी. राजस्थान जयपुर।